संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences
Raibareli Road, Lucknow- 226 014 (U.P.), INDIA
Phones: 0522-2668004-8,2668700-800-900
Fax: 91-0522- 2668017,2668078

पत्रांक–पी0जी0आई0 / मुख्य चिकि0 अधी0 / अधि0 / 1759 / 2022

(पत्रावली आर0एस0डी0 सं0 6949 / 18 टेक्नीशियन संवर्ग की पदवार Seniority Position & Present Status–2018 के प्रकाशन के संबंध में)

दिनॉक : 03/06/2022 मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या–7512/PGI/DIR/DC/2012 दिनांक 19–12–2012 के द्वारा टेक्नीशियन ग्रेड–2 पद पर वेतन बैण्ड–1 ग्रेड वेतन रू0 2800 में पदोन्नति प्रदान किये जाने के उपरान्त श्री राज कुमार एवं स्व0 उमेश कुमार द्वारासंयुक्त रूप में प्रत्यावेदन दिनांक 11–04–2013 सक्षम अधिकारी (निदेशक) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा समान प्रकार का प्रत्यावेदन अपर निदेशक के समक्ष दिनांक 06–05–2013 को प्रस्तुत किया गया था। इन प्रत्यावेदनों के माध्यम से प्रत्यावेदकों द्वारा अधोलिखित प्रार्थना की गई थी–

"शासनादेश दिनांक 07–08–1992 एवं पी0 जी0 आई0 प्रथम विनियमावली 2011 के नियम 102 (2) के अनुसार उ0 प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 में दी गयी व्यवस्था के तहत दिनांक 14–02–2003 से टेक्नीशियन ग्रेड–2 के पद पर वरिष्ठता का लाभ देने की कृपा करें। जिससे कि हम प्रार्थीगणों को अपना वास्तविक लाभ मिल सके। अन्यथा मजबूर होकर मा0 न्यायालय अथवा मा0 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग में जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान प्रशासन की होगी"

उक्त के अतिरिक्त प्रत्यावेदकों द्वारा अपना समान प्रकार का प्रत्यावेदनमा0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ के समक्ष दिनांक 07–05–2013 को प्रस्तुत किया गया था, जिसके सापेक्ष मा0 आयोग से प्राप्त पत्र/सम्मन दिनांक 14–05–2013 के अनुक्रम में संस्थान द्वारा दिनांक 18–06–2013 को आख्या प्रेषित की गई थी। इस आख्या में प्रत्यावेदकों द्वारा वरिष्ठता सूची के संबंध में प्रेषित प्रत्यावेदन काल–बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं होने की सूचना मा0 आयोग को प्रेषित की गई थी।

उक्त प्रत्यावेदकों द्वारा पुनः अपना प्रत्यावेदन दिनांक 29–08–2013 सक्षम अधिकारी (निदेशक)को प्रेषित करते हुये अधोलिखित प्रार्थना की गई थी–

"कार्यालय आदेश दिनांक 10–08–2013 के द्वारा जारी वरिष्ठता सूची को संशोधित करते हुए शासनादेश दिनांक 07–08–1992 एवं एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 प्रथम विनियमावली 2011 के नियम 102 (2) के अनुसार उ0 प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम–6 एवं 8 (2ख) में दी गयी व्यवस्था के तहत कनिष्ठ कर्मी श्री व्यासमुनि त्रिपाठी की पदोन्नति की तिथि दिनांक 14–02–2003 से टेक्नीशियन ग्रेड–2 के पद पर वरिष्ठता का लाभ देने की कृपा करें"

प्रत्यावेदकों का उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 29–08–2013 इस संस्थान के पत्र दिनांक 26–09–2013 द्वारा निस्तारित किया गया था एवं यह अपेक्षा की गई थी यदि उक्त के संबंध में अन्यत्र कुछ कहना हो तो अपना प्रत्यावेदन पत्र प्राप्ति के 03 दिनों के भीतर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

क्रमश पृष्ठ संख्या–02

उक्त प्रत्यावेदकों की शिकायत/प्रार्थना–पत्र के सापेक्ष मा0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ से प्राप्त सम्मन दि0 13–06–2013 के अनुक्रम में यह सूचित किया गया था कि प्रकरण पर गहन परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 23–04–2014 को प्रस्तुत की गई थी, जिसका निष्कर्ष अधोलिखित है–

"प्रकरण में निहित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रत्यावेदकों द्वारा उ0 प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के जिस नियम–6 एवं नियम–8–2 (ख) के आधार पर श्री ब्यास मुनि त्रिपाठी के ऊपर टेक्नीशियन सवंर्ग में वरिष्ठता की मांग की गयी है वह नियमों के परिप्रेक्ष्य में संगत नहीं है क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड–2 के पद पर वर्ष 2003 में की गयी श्री ब्यास मुनि त्रिपाठी की पदोन्नति 52वी शासी निकाय दिनांक 27–11–2001 द्वारा प्राविधानित 15 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत टेक्नीशियन ग्रेड–2 के पद की निर्धारित शैक्षिक योग्यता/अर्हता धारित करने के फलस्वरूप की गयी है जबकि प्रत्यावेदकों की पदोन्नति दिनांक 19–12–2012 से टेक्नीशियन ग्रेड–2 के पद पर उक्त प्राविधान के अन्तर्गत नहीं की गई है जिस प्राविधान के अन्तर्गत श्री ब्यास मुनि त्रिपाठी की पदोन्नति की गई थी। अतः उ0 प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के जिस नियम–6 एवं नियम–8–ख–2 इस प्रकरण में आकर्षित नहीं होता है और इस प्रकार प्रत्यावेदनकों का प्रत्यावेदन नियमों के परिप्रेक्ष्य में ग्राह्य नहीं है....."

उक्त समिति की रिपोर्ट, जो सक्षम अधिकारी (निदेशक) द्वारा अनुमोदित की गई थी तथा अन्य तथ्यों/शासी निकाय के निर्णयों का उल्लेख करते हुये मा0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ को इस संस्थान के पत्र दिनांक 30–.09–2014 द्वारा यह सूचित किया गया था कि शिकायतकर्ताओं का वरिष्ठता संबंधी प्रकरण/शिकायत निक्षिप्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण के संबंध में मा0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ द्वारा दिनांक 12–02–2015 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से अपेक्षा की गई थी कि प्रकरण में शासन स्तर से जांच कराकर लिखित आख्या दिनांक 18–03–2015 को उपलब्ध करायी जाये। मा0 आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में श्री अरिन्दम भट्टाचार्य, तत्कालीन विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जांच कर जांच आख्या/पत्र दिनांक 10–12–2015 द्वारा मा0 आयोग को प्रेषित की गई। जांच में संस्तुति की गई थी कि शिकायतकर्ताओं के सम्बन्ध में संस्थान द्वारा उ0 प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम–6 के प्राविधानों तथा शासनादेश दिनांक 23–11–2012 द्वारा अनुमोदित व्यवस्था के अन्तर्गत संवर्गीय वरिष्ठता सूची में यथावश्यक संशोधनात्मक कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ताओं को तत्क्रम में अनुमन्य समस्त सेवा सम्बन्धी परिलब्धियों (नोशनल पदोन्नति इत्यादि) के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

शासन की उक्त जांच आख्या के अनुक्रम में मा0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ द्वारा दिनांक 20–04–2016 को यह आदेश पारित किये गये धे कि शासन द्वारा प्रस्तुत की गई जांच आख्या का अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 26–05–2016 को उपलब्ध करायी जाये। मा0 आयोग के इन आदेशों के सापेक्ष संस्थान के पत्र दिनांक 21–06–2016 के माध्यम से यह अनुरोध किया गया था कि चूंकि उ0 प्र0 शासन द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त जांच आख्या/शासनादेश दिनांक 23–11–2012 तथा शासनादेश दिनांक 18–04–2013 में निहित नियम एवं प्राविधानों के विपरीत है, अतः वह अपने आदेश दिनांक

क्रमश पृष्ठ संख्या–03

20–04–2016 पर पुर्नविचार करने का कष्ट करें। वहीं दूसरी ओर इस संस्थान के पत्र दिनांक 16–07–2016 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन से यह अनुरोध किया गया था कि चूंकि उक्त जांच आख्या एवं शासनादेश दिनांक 23–11–2012 तथा शासनादेश दिनांक 18–04–2013 में अन्तरनिहित प्राविधानोंके विरोधाभासी होने के साथ–साथ लागू किये जाने हेतु योग्य नहीं है, अतः इस संबंध में स्पष्ट आदेश निर्गत किये जाने का कष्ट करें। इस संबंध में शासन को अनेक अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये गये थे, जिसमें से अनुस्मारक–पत्र दिनांक 18–11–2017 विशेषतया उल्लेखनीय है।

दिनांक 16–10–2017 को मा0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ के समक्ष हुई सुनबाई में आदेश पारित करते हुए निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ को निर्देशित किया गया था कि वह शासन की जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ताओं को दिनांक 14–02–2003 से नोशल पदोन्नति प्रदान करने व सेवा सम्बन्धी समस्त परिलब्धियों एवं संशोधित वरिष्ठता सूची जारी कराने हेतु अपर निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ को अधिकृत कर अपर निदेशक द्वारा की गई कृत कार्यवाही पर अपनी संस्तुति एवं आदेश अपने नामित अधिकारी के माध्यम से आयोग को दिनांक 13–11–2017 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मा0 आयोग के उक्त आदेश दिनांक 16–10–2017 के अनुपालन में कार्यालय आदेश दिनांक 19–12–2017 के माध्यम से अपर निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 05–01–2018 को प्राप्त हुई थी। समिति द्वारा संस्तुतियां की गई थीं कि प्रत्यावेदकों का वरिष्ठता प्रकरण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 का नियम–6 एवं नियम–8–2ख एवं अन्य किसी और नीति/नियम के अन्तर्गत उनके पक्ष में ग्राहय है अथवा नहीं, के सन्बन्ध में एक प्रस्ताव तैयार करके उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग को उनके परामर्श प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जाना उपयुक्त होगा। चूँकि प्रत्यावेदकों के वरिष्ठता प्रकरण पर उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त करनें में समय लग सकता है इसलिये उचित होगा कि मा0 उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग में सुनबाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 08.01.2018 को संस्थान के प्रतिनिधि/अधिकारी उपस्थित होकर प्रकरण की अद्यतन स्थिति बताते हुये मा0 आयोग से 45 दिनों का समय प्रदान करने हेतु अनुरोध कर लें।

समिति की उक्त संस्तुतियों के अनुक्रम में कार्मिक विभाग को संस्थान द्वारा परामर्श हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। कार्मिक विभाग द्वारा सम्बन्धित पत्रावली पर दिनांक 07–03–2018 को यह परामर्श अंकित किया गया था कि ज्येष्ठता निर्धारण हेतु उ0 प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (यथासंशोधित) निर्गत की गई है। नियमावली में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के प्राविधान हैं तथा नियमावली के 5 से 8 तक ज्येष्ठता निर्धारण एवं नियम–9 में ज्येष्ठता सूची के प्रख्यापन हेतु स्वतः स्पष्ट प्राविधान किये गये हैं। अतः यदि प्रशासकीय विभाग द्वारा इस नियमावली को ज्येष्ठता निर्धारण हेतु अपनाया गया हो तो नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारण किये जाने पर विचार किया जा सकता है। यदि नहीं अपनाया है तो प्रशासकीय विभाग की संगत सेवा नियमावली/वायलॉज में ज्येष्ठता के संबंध में किये गये प्राविधानों के अनुसार ही ज्येष्ठता अवधारित/निर्धारित की जायेगी। प्रशासकीय विभाग उक्त के आलोक में प्रकरण का परीक्षण करते हुये स्वस्तर पर ज्येष्ठता निर्धारित करना चाहें।

कार्मिक विभाग की उक्त टीप का संज्ञान लेते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पत्रावली इस संस्थान को दिनांक 27–04–2018 को प्रेषित की गई थी। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अपनी टीप में पी0 जी0 आई0

क्रमश पृष्ठ संख्या–04

को दिये गये निर्देश को सम्मुख रक्षित होने का भी उल्लेख किया गया था। रक्षित पत्र दिनांक 19–04–2018 द्वारा संस्थान के उक्त संदर्भित पत्रों दिनांक 16–07–2016 एवं 18–11–2017 का संदर्भ देते हुये यह निर्देश दिये गये थे कि श्री उमेश कुमार, टेक्नीशियन ग्रेड–2 तथा श्री राज कुमार, टेक्नीशियन ग्रेड–2 के नियुक्ति अधिकारी आप स्वयं है अतएव इनकी वरिष्ठता से सम्बन्धित प्रकरण का निस्तारण कार्मिक विभाग के संगत शासनादेशों एवं सुसंगत नियमों के आधार पर करने का कष्ट करें। **इस प्रकार स्पष्ट है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा श्री अरिन्दम भट्टाचार्य, तत्कालीन विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 10–12–2015 को प्रस्तुत की गई जांच आख्या पर सहमति नहीं प्रदान की गई थी।**

कार्मिक विभाग के उक्त परामर्श, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित की गई जांच आख्या दिनांक 10–12–2015 एवं अन्य संगत तथ्यों आदि के प्रकाश में अपर निदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 19–12–2017 को गठित उक्त समिति की बैठक दिनांक 17–05–2018 को पुनः हुई, जिसकी रिपोर्ट में अधोलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया था–

> ***"लैब अटेन्डेन्ट से लैब टेक्नीशियन के पद पर पदोन्नति हुये कर्मियों की ज्येष्ठता सूची अलग बनायी जाने पर श्री उमेश कुमार, टेक्नीशियन ग्रेड–2 तथा श्री राज कुमार, टेक्नीशियन ग्रेड–2, अपनी ज्येष्ठता जो पोषक संवर्ग में थी उसे प्राप्त कर लेगें। इस प्रकार दिनांक 02–06–1999 को प्रकाशित लैब अटेण्डेन्ट संवर्ग से पदोन्नति द्वारा लैब टेक्नीशियन पद पर पदोन्नति हुये कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में श्री उमेश कुमार क्रम सं0 14, श्री राजकुमार क्रम सं0 24 तथा श्री व्यासमुनि त्रिपाठी क्रम सं0 31 पर थे वही ज्येष्ठता इन्हें प्राप्त हो जायेगी"***

समिति की उक्त संस्तुतियों के प्रकाश में सक्षम अधिकारी (निदेशक) के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 04–08–2018 को टेक्नीशियन ग्रेड–2 (सीधी भती) एवं टेक्नीशियन ग्रेड–2 (पदोन्नति के माध्यम से) एवं अन्य का Provisional seniority and present status प्रकाशित किया गया था तथा यह अपेक्षा की गई थी कि यदि इस्में कोई त्रुटि/आपत्ति परिलक्षित हो तो सम्बन्धित कर्मी/अधिकारी अपनी आपत्तियां दिनांक 13–08–2018 तक चिकित्सालय अधिष्ठान को सुसंगत साक्ष्यों सहित लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

उक्त निर्गत Provisional seniority and present statusके सापेक्ष श्री राज कुमार, टेक्नीशियन ग्रेड–2 (पदोन्नति के माध्यम से) द्वारा अपने प्रत्योवदन दिनांक 13–08–2018 के द्वारा अधोलिखित प्रार्थना की गई थी–

> ***"कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04–08–2018 पर आपत्ति दर्ज करते हुए प्रार्थी का अनुरोध है कि शासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर माननीय आयोग के आदेश दिनांक 20–04–2016 के अनुपालन में उ0 प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991के नियम 6 के अनुसार हम प्रार्थीगणों से पोषक संवर्ग में कनिष्ठ कर्मी श्री ब्यासमुनि त्रिपाठी की पदोन्नति की तिथि 14–02–2003 टेक्नीशियन ग्रेड–2 के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान करते हुए सेवा सम्बन्धी समस्त परिलबधियों व संशोधित वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ कर्मी श्री ब्यासमुनि त्रिपाठी के ऊपर ज्येष्ठता क्रम अंकित करने की कार्यवाही करने की कृपा करें"***

दिनांक 04–08–2018 को प्रकाशित उक्त Provisional seniority and present status के सापेक्ष श्री राज कुमार एवं अन्य कर्मचारियों से प्राप्त आपत्तियों पर विस्तार से विवरण/तथ्य अंकित करते हुये

क्रमश पृष्ठ संख्या–05

सम्बन्धित पत्रावली पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यह पत्रावली अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के मध्य हुई वार्ता के उपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई थी, जिस पर सक्षन अधिकारी (निदेशक) द्वारा चिकित्सालय अधिष्ठान द्वारा अंकित किये गये तथ्यों/संस्तुतियों के परीक्षण हेतु डा0 ए0 के0 शुक्ला, तत्कालीन प्रोफेसर, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा विभिन्न तिथियों में बैठकें आहूत करने के उप्रान्त दिनांक 28–05–2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसका सारांश/निष्कर्ष अधोलिखित है–

".....भविष्य में जब भी टेक्नीशियन ग्रेड–1 के पद रिक्त होगें तो इन पर पदोन्नति करने हेतु दिनांक 04–08–2018 को टेक्नीशियन ग्रेड–2 (सीधी भर्ती) एवं टेक्नीशियन ग्रेड–2 (पदोन्नत) की अलग–अलग प्रकाशित की गई Sniority and present status के अनुसार श्री राज कुमार एवं इनके समकक्ष अन्य अर्ह कर्मियों की पदोन्नति की जायेगी तथा टेक्नीशियन ग्रेड–1 पद पर पदोन्नति प्राप्ति उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के उपबन्ध/नियम 5–8 के अधीन श्री राज कुमार एवं इनके समकक्ष अन्य अर्ह कर्मी अपनी ज्येष्ठता श्री ब्यास मुनि त्रिपाठी के ऊपर प्राप्त कर लेगें"

डा0 ए0 के0 शुक्ला की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट/संस्तुति पर सक्षम अधिकारी (निदेशक) द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुक्रम में दिनांक 05–07–2019 को Seniority& Present Status का प्रकाशन अंतिम रूप से किया गया था।

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 17–10–2018 द्वारा टेक्नीशियन संवर्ग हेतु किये गये संवर्ग पुर्नसरंचना/विभाजन के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारियों को लेबोरेटरी टेक्नीशियन संवर्ग, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन संवर्ग रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन सवंर्ग में पद–स्थापित करने के उपरन्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18–05–2020 द्वारा Provisional seniority and present status का प्रकाशन किया गया था तथा यह अपेक्षा की गई थी कि यदि इसमें किसी को कोई आपत्ति परिलक्षित हों तो वह 07 दिनों के भीतर अपना लिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। इस संबंध मात्र एक कर्मचारी से आपत्ति प्राप्त हुई थी, जिसका निस्तारण करते हुये दिनांक 21–08–2020 को अंतिम रूप से Seniority and present status प्रकाशित किया गया था।

उक्त निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–पी0जी0आई0/मुख्य चिकि0 अधी0/अधि0/2526/2020 दिनांक 21–08–2020 द्वारा **अन्तिम रूप से प्रकाशित किये गये संवर्ग वार Seniority & Present Status के आधार पर**, कार्यालय ज्ञाप संख्या–2830/PGI/DIR/DC/2020 दिनांक 15–09–2020 एवं संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या–3981/PGI/DIR/DC/2020 दिनांक 23–12–2020 द्वारा श्री राजकुमार, मेडिकल लैब टेक्नोलाजिस्ट (लैबोरेटरी टेक्नीशियन संवर्ग) की पदोन्नति तकनीकी अधिकारी (लैबोरेटरी टेक्नीशियन संवर्ग) के पद पर की गई थी।

तकनीकी अधिकारी (लैबोरेटरी टेक्नीशियन संवर्ग) के पद पर पदोन्नति के उपरान्त श्री राजकुमार द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 28–07–2021 के माध्यम से श्री ब्यास मुनि त्रिपाठी के ऊपर ज्येष्ठता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था। श्री राज कुमार के प्रत्यावेदन को दृष्टिगत रखते हुये डा0 ए0 के0 शुक्ला, न्यूक्लियर मेडिसन विभाग की अध्यक्षता में गठित की गई समिति की रिपोर्ट/संस्तुतियों दिनांक 28 मई, 2019, जो कि निदेशक द्वारा अनुमोदित की गई थीं, के आधार पर कार्यालय ज्ञाप संख्या–पी0जी0आई0/अधि0/मुख्य

क्रमश पृष्ठ संख्या–06

चिकि0अधी0/3233/ 2021 दिनांक 25—09—2021 द्वारा लेबोरेटरी टेक्नीशियन संवर्ग में तकनीकी अधिकारी के पद पर कार्यरत कार्मिकों की अनंतिम Seniority Position & Present Statusका प्रकाशन किया गया था, जिसमें श्री राज कुमार, तकनीकी अधिकारी (लेबोरेटरी टेक्नीशियन संवर्ग) को श्री ब्यास मुनि त्रिपाठी, तकनीकी अधिकारी (लेबोरेटरी टेक्नीशियन संवर्ग) के ऊपर स्थापित किया गया था। श्री उमेश कुमार की मृत्यु हो जाने के कारण इनका नाम इस अनंतिम Seniority Position & Present Status में सम्मिलित नही किया गया था।

उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25—09—2021 द्वारा प्रकाशित की गई **अनंतिम Seniority Position & Present Status** के सापेक्ष श्री ब्यास मुनि त्रिपाठी के अतिरिक्त तकनीकी अधिकारी (लेबोरेटरी टेक्नीशियन संवर्ग) के पद पर कार्यरत अन्य कार्मिकों की भी आपत्तियां प्राप्त हुई थीं,जिनके निस्तारण हेतु प्रो0 गौरव अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में कार्यालय ज्ञाप संख्या—पी0जी0आई0/अधि0/मुख्य चिकि0 अधी0/3587/2021 दिनांक 23—10—2021 द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा आपत्तिकर्ताओं/प्रत्यावेदकों के साथ—साथ श्री राज कुमार को भी सुनबाई का अवसर प्रदान करते हुये श्री राज कुमार एवं अन्य प्रत्यावेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेख तथा अन्य संगत तथ्यों/अभिलेखों का अनुशीलन करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त अपनी रिपोर्ट/कार्यवृत्त दिनांक 21—01—2022 में अधोलिखित निष्कर्ष व संस्तुति/संस्तुतियों की गई थी, जिन्हें सक्षम अधिकारी (निदेशक) द्वारा अनुमोदित किया गया था —

निष्कर्ष

1. *श्री राम कुमार सिन्हा एवं श्री व्यास मुनि त्रिपाठी, जिन्हें 52वीं शासी निकाय दिनांक 27.11.2001 मे निहित पदोन्नति के प्राविधानों के अर्न्तगत लैब अटेन्डेन्ट संवर्ग से टेक्नीशियन संवर्ग में टेक्नीशियन ग्रेड—2 के पद पर (15 प्रतिशत की सीमा तक) क्रमशः दिनांक 14.01.2003 एवं 14.02.2003 को पदोन्नति प्रदान गयी थी, तदोपरान्त टेक्नीशियन संवर्ग में सीधी भर्ती के टेक्नीशियन ग्रेड—2 के पद पर लगभग 55 कर्मियों की भर्ती वर्ष 2003, 2005, 2007, 2010 के मध्य की गयी है, जिसमें उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1, 2, 4 से 7 पर अंकित कर्मचारीगण भी सम्मिलित हैं।*
2. *73वीं शासी निकाय दिनांक 24—09—2011 एवं शासनादेश संख्या—4126/71—2—2012—पी—8/2008 दिनांक 23.11.2012 के अनुपालन में 40 लैब अटेन्डेण्ट कर्मियों की पदोन्नति टेक्नीशियन ग्रेड—2 पद पर (25 प्रतिशत की सीमा तक) दिनांक 19.12.2012 को की गयी थी जिसमें श्री उमेश कुमार एवं श्री राजकुमार भी सम्मिलित हैं। तदोपरान्त शासनादेश/पत्र संख्या—4461/71—2—13—पी—8/2008 दिनांक 18.04.2013 निर्गत किया गया, जिसमें लैब अटेन्डेन्ट संवर्ग का पुर्नगठन पूर्वगामी तिथि से नहीं किये जाने का उल्लेख है।*
3. *उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 व 02 पर अंकित तथ्य/विवरण के अनुसार श्री राजकुमार वस्व0 उमेश कुमार का टेक्नीशियन ग्रेड—2 पद पर प्रवेश (Entry) श्री व्यास मुनि त्रिपाठी, श्री राम कुमार सिन्हा एवं उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1, 2, 4 से 7 पर अंकित कर्मचारीगणों की भर्ती (Entry) के उपरान्त दिनांक 19—12—2012 को हुआ है।*
4. *उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रचलित संवर्ग संरचना संस्थान की शासी निकाय द्वारा अंगीकार किए जाने की सीमा तक तथा अंगीकृत*

क्रमश पृष्ठ संख्या—07

किये गये जाने की तिथि से संस्थान में लागू किया गया है तथा इस हेतु भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का आधार लिया गया है न कि भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की नकल ***(The principle of equivalence of cadres and pay scales with that of AIIMS must be followed. However, the principle of parity and pari-pasu equivalence with AIIMS need not be followed literally. The SGPGI can not be a replica of AIIMS. It must evolve its own cadre policy wherever necessary & justified. However, in cadres where-there is a need for deviation from those at AIIMS, this would be justified and recorded)***

संस्तुति

उपर्युक्त अंकित तथ्यों/विवरण के प्रकाश में प्रथम दृष्टया श्री राज कुमार का प्रत्यावेदन पोषणीय नहीं प्रतीत होता है। यद्यपि इस संबंध में न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

समिति के उक्त निष्कर्ष एवं संस्तुति/संस्तुतियों के प्रकाश में पत्रावली न्याय विभाग, उ0 प्र0 शासन को परामर्श हेतु दिनांक 08–03–2022 को प्रेषित की गई थी, जिस पर विशेष सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी द्वारा दिनांक 08–03–2022 को यह टीप अंकित की गई थी कि हस्तगत प्रकरण संस्थान के कार्मिकों की वरिष्ठता सूची से सम्बन्धित प्रतीत होता है। अस्तु संस्थान अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से हस्तगत प्रकरण के संदर्भ में कार्मिक तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का परामर्श प्राप्त कर, यदि आवश्यक हो तो, स्पष्ट परामर्शी बिन्दु अंकित करते हुये पत्रावली पुनः न्याय विभाग को उपलब्ध कराना चाहें।

न्याय विभाग की उक्त टीप के प्रकाश में पत्रावली कार्मिक विभाग, उ0 प्र0 शासन का परामर्श प्राप्त करने हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 06–04–2022 को प्रेषित की गई थी, जिस पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह निर्देश दिए गये कि प्रकरण/विवाद एक कर्मचारी की ज्येष्ठता से सम्बन्धित है, अतः इसे संस्थान स्तर पर निर्णीत किया जा सकता है।

उक्त वर्णित तथ्यों, विवरण एवं परिस्थितियों के प्रकाश में श्री राज कुमार, तकनीकी अधिकारी (लेबोरेटरी टेक्नीशियन संवर्ग) के प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण एतत्द्वारा खारिज (dismiss) किये जाते हैं एवं इसके परिणामस्वरूप दिनांक 25–09–2021 को प्रकाशित अनंतिम Seniority Position & Present Status के पूर्व की ज्येष्ठता, अर्थात दिनांक 21–08–2020 को अन्तिम रूप से प्रकाशित किये गये संवर्ग वार Seniority & Present Status के अनुसार यथावत् बनी रहेगी।

01/04/22

(प्रो0 राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

प्रतिलिपि :

1. अपर निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0, लखनऊ।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0, लखनऊ।
3. विभागाध्यक्ष, बायोस्टेटिसटिक्स एण्ड हेल्थ इन्फॉरमेटिक्स को इस आशय से प्रेषित कि वह इस कार्यालय ज्ञाप का प्रकाशन संस्थान की बेबसाईट पर करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित कर्मचारियों को संस्थान की बेबसाईट के माध्यम से प्रेषित।

01/04/22

(प्रो0 राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक